**न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, देहरादून।**

**जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 357/2026**
**राज्य बनाम सन्नी कुमार**

मु0अ0सं0– 04/2026
धारा– 125ए, 281 एवं 106(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023
थाना– बसन्त विहार, देहरादून
अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता– श्री नीरज प्रसाद सेमवाल
विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी– श्री भानू प्रताप बिष्ट
**दिनांक 06.04.2026**

**निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र**

प्रार्थी/अभियुक्त **सन्नी कुमार पुत्र श्री प्रमोद कुमार, निवासी– मुजफ्फरनगर रोड़, ग्राम दीनापुर, आहत सहारनपुर, यू0पी0** की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त मामले में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त पराध में पुलिस द्वारा अभियुक्त बनाया गया है तथा प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। उक्त अपराध में अधिकतम दो साल तक की सजा का प्रावधान है जिसका विचारण मजिस्ट्रेट न्यायालय से है। पुलिस द्वारा अभियुक्त को 35(3) बी0एन0एस0एस0 का नोटिस तामील कराया गया है तथा प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग किया गया। अतः प्रार्थना की कि प्रार्थी/अभियुक्त को दौराने मुकदमा जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश पारित किया जाये। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि अपराध जमानतीय प्रकृति का है।

3. प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना गया तथा प्रपत्रों का परिशीलन किया।

4. अभियुक्त पर वाहन संख्या यू0के0–07–बी0आर0–3826 को तेजी एवं ला. परवाही से चलाकर वादी के भाई को टक्कर मारकर उन्हें घायल करने तथा दौराने उपचार उनकी मृत्यु होने का अभियोग है। आज अभियुक्त द्वारा आत्मसमर्पण करने पर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है। हस्तगत प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः मामले के गुण–दोष पर कोई अन्तिम राय व्यक्त किये बिना जमानत पर रिहा किये जाने के पर्याप्त आधार विद्य मान है।

**आदेश**

अभियुक्त **सन्नी कुमार पुत्र श्री प्रमोद कुमार** को मु0अ0सं0 04/2026 अन्तर्गत धारा 125ए, 281 एवं 106(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में मु0–25,000/–रूपये (पचीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाता है।

(भावना पाण्डेय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम
देहरादून।